

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2018/499

दिनांक: 31/12/18

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.स	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री बृजेश नारायण भारद्वाज फिजियोथेरेपिस्ट	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	22.3.1959	31.3.2019
2.	श्री त्रयम्बक सहाय जौहरी फिजियोथेरेपिस्ट	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	3.7.1959	31.7.2019

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2018/499

दिनांक: 31/12/2018

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
4. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अदगत करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर